न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2025 / 190 दर्ज तिथिः–22.05.2025

1. नैनाराम पुत्र प्रतापाराम
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री जगदीश विश्नोई
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–31.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 103 हाल खसरा नम्बर 166 / 1 / 1.8373 है0, 166 / 3 / 3.1889 है0 मौजा मौखावा, खाता संख्या 22 हाल खसरा नम्बर 12 / 4 / 0.2266 है0, 12 / 6 / 2.6871 है0 मौजा मौखावा खुर्द में प्रार्थी पूर्ण हिस्से का खातेदार तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 में खाता संख्या 103 एवं खाता संख्या 22 में प्रार्थी का नाम कोजाराम उर्फ कोजिया पुत्र प्रतापाराम अंकित है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम नैनाराम पुत्र प्रतापाराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम नैनाराम पुत्र प्रतापाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:23:52 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नैनाराम पुत्र प्रतापाराम के स्थान पर कोजाराम उर्फ कोजिया पुत्र प्रतापाराम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में कोजाराम उर्फ कोजिया पुत्र प्रतापाराम दुरूस्त कर सही नाम नेनाराम पुत्र प्रतापाराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम मौखावा एवं मौखावा खुर्द के नवीन खाता संख्या 103 एवं 22 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
कोजाराम उर्फ कोजिया पुत्र प्रतापाराम	पूर्ण	166/1 166/3	1.8373 3.1889
कोजाराम उर्फ कोजिया पुत्र प्रतापाराम	पूर्ण	12/4 12/6	0.2266 2.6871

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः–

दस्तावेज का विवरण	नाम
पहचान पत्र	नैना राम पुत्र प्रतापा राम
परिवार राशन कार्ड	नेनाराम पुत्र प्रतापाराम
आधार कार्ड	नेना राम पुत्र प्रतापाराम
जन आधार कार्ड	नेनाराम
बैंक डायरी	नेनाराम पुत्र प्रतापाराम
बैंक डायरी	नेनाराम पुत्र प्रतापाराम

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

1. *प्रार्थी नैनाराम पुत्र प्रतापाराम एवं उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कोजाराम उर्फ कोजिया पुत्र प्रतापाराम एवं कोजाराम पुत्र प्रतापाराम एक ही व्यक्ति है।*
2. *प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आराजी का नाम नेनाराम पुत्र प्रतापाराम किया जाना प्रस्तावित है।*

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट नेनाराम पुत्र प्रतापाराम एवं कोजाराम उर्फ कोजिया पुत्र प्रतापाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम नेनाराम पुत्र प्रतापाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यदित किया जाकर मिलान किया जाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:23:52 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **कोजाराम उर्फ कोजिया पुत्र प्रतापाराम** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **नेनाराम पुत्र प्रतापाराम** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:23:52 IST
Reason: SelfAttested